

**युद्ध विधवा छात्रावास व पुनर्वास केन्द्र, जयपुर में छात्रावास/ आवासीय सुविधा
प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र**

1. युद्ध विधवा का नाम :
2. स्व. पति का नम्बर, बैंक व नाम :
3. यूनिट :
4. स्थाई पता मय टेलीफोन नं० :

5. पति के शहीद होने की तिथि तथा ऑपरेशन का नाम
6. वर्तमान आयु स्वयं 1.4.2006 को (45 वर्ष से अधिक नहीं हो)

7. शैक्षणिक योग्यता (स्वयं की)
8. सुविधा जो प्राप्त करना चाहती हैं। आवासीय / छात्रावास
9. छात्रावास सुविधा प्राप्त करने वाले आश्रित छात्र/ छात्रा का पूर्ण विवरण :-

क्र. सं.	नाम	लिंग	आयु	वर्तमान कक्षा

10. कुल मासिक पेंशन
11. पेंशन के अतिरिक्त अन्य वार्षिक आय
12. स्वयं अथवा इच्छुक छात्र/ छात्र के बारे में अन्य सूचना जो देना चाहे.....
13. विषय जिसमें स्व – रोजगार सीखना चाहती हैं
- (सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कम्प्यूटर, जूस अचार जैल, ब्यूटी पार्लर शिक्षा, विद्युत उपकरणों के रख- रखाव व मोबिल, बेबसाईड कला, हिन्दी लिपिक, विज्ञापन डिजाईन)
14. क्या छात्रावास में फिक्स वेतन प्राप्त कर कार्य करना चाहती हैं। हाँ / नहीं
(कार्य का विवरण अनुभव सहित)
15. जयपुर में स्वयं, सास – ससुर का कोई मकान हाँ / नहीं

नोट : कृपया उपरोक्त आवेदन प्रपत्र के साथ अपने स्व. पति के सर्विस पार्टिकूलर्स/ डिस्चार्ज बुक की प्रति तथा आय के स्रोतों हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करें।

हस्ताक्षर

नाम

वर्तमान पता

स्थान :

तारीख :

नोट :-

1. आवासीय सुविधा हेतु सिर्फ वे ही युद्ध विधवायें आवेदन करने की पात्र होंगी जिनकी आयु दिनांक 1.4.2006 को 45 वर्ष से कम हो।
2. आवेदन पत्र में पेंशन तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त हो रही आय का पूर्ण विवरण दिया जावे।
3. आवासीय सुविधा हेतु आवेदन करने वाली युद्ध विधवायें जो कि अपने साथ बच्चों को भी साथ रखना चाहती हैं, उन सभी बच्चों की आयु तथा शिक्षा का पूर्ण विवरण दिया जावे ।
4. आवासीय / छात्रावास सुविधा प्रथमतः एक वर्ष के लिये दी जावेगी । इस अवधि को एक-एक वर्ष के लिये स्कूटनी कमेटी द्वारा बढ़ाया जा सकता है अधिकतम सुविधा 5 वर्ष तक ही की जा सकेगी । किसी भी स्थिति में 5 वर्ष से अधिक की सुविधा किसी भी युद्ध विधवा / आश्रितों को नहीं दी जावेगी ।
5. शहीद की आश्रित पत्नी स्पष्ट अंकित करे कि वे किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण / ट्रेनिंग की इच्छुक हैं , ये ट्रेनिंग होगी (सिलाई , कढ़ाई, बुनाई , कम्प्यूटर , जूस , अचार , जैल , ब्यूटी पार्लर , शिक्षा , विद्युत उपकरणों के रख रखाव व मोबाइल , वेबसाइट कला , हिन्दी शीघ्र लिपिक , विज्ञापन डिजाइन)
6. शहीद की आश्रित पत्नी जो राजकीय सेवा मे कार्यरत / एवं जिसका अथवा सास / ससुर का जयपुर जिले में मकान है, को आवासीय सुविधा / छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।